



राजस्थान सरकार
आयुक्तालय, कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर
Block-4, RKS Sankul, JLN Road, Jaipur- 302015, Rajasthan
Website: <http://hte.rajasthan.gov.in/dept/dce/>
e-mail: jdpi.cce@gmail.com Ph.: 0141-2706736 (O);

क्रमांक: एफ 4 ()/आकाशि/नि0सं0/2021/ 342

दिनांक:- 31.3.2021

समस्त नोडल प्राचार्य,
राजकीय महाविद्यालय,
राजस्थान।

विषय:- निजी महाविद्यालय के प्राप्त आवेदनों के निरीक्षण के सम्बन्ध में।

संदर्भ:- विभाग द्वारा पूर्व में जारी आदेश क्रमांक 338 दिनांक 12.03.2021 के क्रम में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत व संदर्भित के क्रम में लेख है कि निजी महाविद्यालय द्वारा सत्र 2021-22 हेतु ऑनलाइन पोर्टल पर विभिन्न प्रकरणों हेतु किए गये आवेदनों में निरीक्षण करने की प्राथमिकता निम्नानुसार रहेगी:-

1. नवीन निजी महाविद्यालयों का निरीक्षण।
2. पूर्व संचालित महाविद्यालयों का नवीन विषयों/संकाय हेतु निरीक्षण।
3. पूर्व संचालित महाविद्यालयों का स्नातकोत्तर-क्रमोन्नयन हेतु निरीक्षण।
4. पूर्व संचालित महाविद्यालयों के अनापत्ति/अनुमति हेतु अन्य प्रकरणों का निरीक्षण।

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा एस.बी.सिविल रिट पीटीशन संख्या 11734/2018 के अन्तर्गत पारित निर्णय के क्रम में निरीक्षण शुल्क मद् के अन्तर्गत प्राप्त ऑनलाइन आवेदनों में संदर्भित आदेश में संलग्न सूची अनुसार उल्लिखित 09 बिन्दुओं बाबत महाविद्यालयों से दस्तावेज प्राप्त करें।

आयुक्त,

कॉलेज शिक्षा, राज0, जयपुर।

प्रतिलिपि:-

1. वेबसाइट प्रभारी, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राज0, जयपुर को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

संयुक्त-निदेशक (नि0सं0)

कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर